कार्यालय नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर

दिनांक : 27.03.2020

<u>प्रेस नोट–1</u>

कानपुर नगर की मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी द्वारा कोविड–19 (कोरोना वायरस) के प्रसार की रोकथाम हेतु दिए जा रहे निर्देश के क्रम में आज दिनांक 27 मार्च 2020 को सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर के विभिन्न जोनों, वार्डो, मार्केटो ,अपार्टमेंट व सार्वजनिक स्थानों एवं मा0 पार्षदों की शिकायतों वाले स्थलों सैनिटाइजिंग का कार्य कराया गया ।

सेनीटाजिंग कराये गये स्थलों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम	**जोन–1**	**जोन–2**	**जोन–3**	**जोन–4**	**जोन–5**	**जोन–6**
1	हैड पोस्ट ऑफिस	तिवारीपुर	बाकरगंज	वार्ड 42 परमट	गोविन्द नगर	विजय नगर
2	पदम अपार्टमेन्ट	हंसपुरम	जरौली	वार्ड 110 कर्नलगंज	रविदास पुरम	सरोजनी नगर
3	रतनमहल अपार्टमेन्ट	गंगापुर कालोनी		किशन अपार्टमेन्ट मकरावर्टगंज	बर्राविश्व बैंक	अम्बेदकर नगर
4	इफ्तिखाराबाद	विराट नगर, अहिरवॉ		सीसामऊ	गोविन्दनगर बस्ती	काकादेव नवीन नगर
5	दलेलपुरवा			बेनाझाबर भट्ठा	बर्रा–5	
6	चन्द्रिकादेवी चौराहा			ग्वालटोली मकबरा	गुजैनी कालोनी	
7					रतनलाल नगर	

उक्त के अतिरिक्त नगर आयुक्त महोदय द्वारा मा0 पार्षदों व जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर उनके क्षेत्र पर पृथक से सेनीटाइजिंग का कार्य कराया गया, विवरण निम्नानुसार है :–

1. घण्टाघर व कलेक्टरगंज क्षेत्र के आस–पास।

2. जरौली फेस के आस–पास का क्षेत्र।

3. बाकरगंज मलिन बस्ती के आस–पास का क्षेत्र

4. पूर्व विधायक श्री नीरज चर्तुवेदी जी के आवास के आस–पास।

5. 108 / 198 आजाद मार्केट सीसामऊ

6. बारादेवी मन्दिर परिसर के आस–पास

7. रामनारायन बाजार पटकापुर।

8. शास्त्री नगर में सुमन सक्सेना के आवास के आस–पास।

9. पीएसी मोड श्याम नगर ।

10. हेमन्त विहार बर्रा–2

11. किदवई नगर

12. अनवरगंज।

<u>जेटिंग मशीन से निम्नलिखित वार्डो में सेनेटाइजेशन का कार्य किया गया।</u>

1. चकरपुर,सब्जी मण्डी।
2. हरजेन्दर नगर
3. जाजमऊ
4. देहली सुजानपुर।
5. कल्याणपुर सब्जीमण्डी
6. रामादेवी सब्जीमण्डी
7. डिप्टी पड़ाव सब्जीमण्डी
8. लाल बंगला रोड।
9. ए0बी0सी0 न्यूज आफिस मकरावर्टगंज

इसके अतिरिक्त नगर निगम सीमान्तर्गत निम्नाकिंत शेल्टर होम पर सेनेटाइजर व फॉगिंग का निरन्तर कराया जा रहा है। यदि कोई शेल्टर होम अवशेष रह जाता है तो उसे दिनांक 28.03.2020 को सेनीटाइज कराया जायेगा।

जोन–1 के अन्तर्गत भगवतदास घाट, फूलबाग, सरसैयाघाट।

जोन–4 के अन्तर्गत, हैलट अस्पताल के अन्दर, चुन्नीगंज बस स्टैण्ड के सामने, बादशाहीनाका

नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी के स्पष्ट निर्देश दिये कि भविष्य में कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम के लिए और अधिक व्यापक कदम उठाये जायेंगे

प्रेस नोट–2

कोविड–19 (कोरोना वायरस) के प्रसार की रोंकथाम एवं बचाव हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा की गयी घोषणा एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के दृष्टिगत जनपद कानपुर नगर को **लॉक–डाउन** घोषित किया गया है। इस हेतु कानपुर नगर के नागरिकों को आवश्यक खाद्य वस्तुओ की खरीद हेतु मेडिकल स्टोर व बाजारो में दुकानों में नागरिकों की भीड के दृष्टिगत **नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी के निर्देश के कम में** अभियंत्रण विभाग द्वारा जोनवार दुकानों पर भीड को देखते हुए **"सोशल डिस्टेन्स सर्किल"** एक–एक मीटर की दूरी पर बनाया गया है । आज दिनांक 27.03.2020 तक बनाये जा चुके कुल सोशल डिस्टेन्स सर्किल का विवरण निम्नानुसार है :–

मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर के सामने सोशल डिस्टेन्स हेतु बनाये गये घेरों का संक्षिप्त विवरण

कम सं0	जोन	मेडिकल स्टोर	जनरल/मिल्क स्टोर
1	1	44	51
2	2	43	62
3	3	42	145
4	4	32	44
5	5	58	0
6	6	61	0
Total		**280**	**302**

नगर आयुक्त ने कानपुर के समस्त नागरिको से अपील की है कि वह जब भी घर के बाहर खरीद दारी हेतु जाये, तो इसी सर्किल में खडे रहे और अपना नम्बर आने तक इन्तजार करें, कोरोना वायरस के बचाव हेतु यह बहुत आवश्यक है।

<u>प्रेस नोट–3</u>

शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नगर निगम सीमा अंतर्गत आने वाले दैनिक जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में शासन द्वारा चाही गई सूचना के क्रम में माननीय पार्षद गण एवं पी0ओ0 डूडा तथा जोनल कार्यालय में जमा फार्म के आधार पर आज दिनांक 27.03.2020 की सांय 5.00 बजे तक कुल 2750 लोग चिन्हित हुए। उक्त कार्य अभी प्रगति पर है रात्रि तक इसमें काफी लोगो के चिन्हित किये जाने की संभावना है। उनकी सूचना शासन व अपर जिलाधिकारी आपूर्ति, कानपुर नगर को आज प्रेषित की गई है। कल तक 1751 लोग चिन्हित हुए थे इस प्रकार कुल 4508 लोग चिन्हित हो चुके है। नगर आयुक्त ने समस्त नगरवासियो से अपील की है कि जो भी नगरवासी दैनिक जीवन यापन करते हो वह अपना फॉर्म जोनल कार्यालय में जमा करते हुए अपनी सूचना शासन को प्रेषित करा सकते हैं, परंतु वे किसी प्रकार की भीड़ जोनल कार्यालय में न लगाएं।

नगर निगम द्वारा निदेशालय व अपर जिलाधिकारी आपूर्ति को 4508 की सूची भेज दी गयी है बहुत जल्द ही इन सभी के खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी।

<u>प्रेस नोट –4</u>

कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर आज जोनवार द्वितीय पाली में निम्नानुसार कूडे का उठान किया जायेगा। :–

1. जोन–1 में आज प्रेस, कोपरगंज, ड्रम वाला मार्ग तक।
2. जोन–2 में हंसपुरम व आवास विकास का पूरा क्षेत्र।
3. जोन–3 में दामोदर नगर, आनन्द विहार नौबस्ता, हाईवे नौबस्ता।
4. जोन–4 के अन्तर्गत पुरानी वर्कशाप चुन्नीगंज।
5. जोन–5 के अन्तर्गत वार्ड 09 रविदासपुरम ।
6. जोन–6 के अन्तर्गत मामा तालाब, नहरिया बगिया।

नगर आयुक्त ने कहा सायंकालीन कूडा उन्हे स्थलों से उठाया जायेगा, जहॉ पर खाली प्लाट है, लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से अपनी अशिक्षित मानसिकता दिखाते हुए कूडा डाला है।

प्रेस नोट–5

कोविड–19 (कोरोना वायरस) के प्रसार की रोंकथाम एवं बचाव हेतु मस्मार्ट सिटी के का कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर को कानपुर नगर का **"केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम " का निरीक्षण मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी द्वारा किया गया,** निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आज दिनांक 27.03.2020 की सांय 5.00 बजे तक कुल 504 शिकायते प्राप्त हुयी, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित 40 शिकायत, पुलिस विभाग से 61 शिकायते, नगर निगम से 104 शिकायत, आपूर्ति विभाग से 183 शिकायत, दूर संचार विभाग से 03 शिकायत, खाद्य सुरक्ष एवं औषधी विभाग की 32, केस्को से 07 शिकायत, जलकल विभाग से 20 शिकायत व अन्य विभाग से 54 शिकायते प्राप्त हुयी। **इस सभी शिकायतों का निस्तारण आज कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण उपरान्त कई शिकायतकर्ताओं से वार्ता भी की गयी, उनके द्वारा शिकायत के निस्तारण की बात कही गयी ।**

निरीक्षण के दौरान जिन विभागों के कर्मचारी कन्ट्रोल रूम में अनुपस्थित पाये गये उनकी उपस्थिति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश मण्डलायुक्त महोदय द्वारा दिये गये।

प्रेस नोट –6

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित **महामारी कोविड–19**, जिसकी चपेट में पूरा विश्व है के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष को लॉक डाउन घोषित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जन स्वास्थ्य एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलने से रोकने हेतु विशेष परिस्थितियों में आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे कीटनाशक दवाई सेनीटाइजर रिमार्क्स सफाई पुराण एवं स्वास्थ्य संबंधित मेडिसिन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

विदित है कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 115 (30) में किसी ऐसी आपदा के जिसका प्रभाव नगर की जनता पर पड़ता हो निवारण अर्थ सहायता कार्यो की व्यवस्था कराने का प्राविधान उल्लिखित है। इसी क्रम में माननीय महापौर जी तथा नगर आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए **धनराशि 30.00–30.00 लाख की 02 पत्रावली यथावश्यक उपकरण क्रय किए जाने हेतु स्वीकृत किया गया है।**

इस संबंध में माननीय महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी ने कहा है कि नगर निगम की ओर से कोरोना वायरस के दृष्टिगत इसकी रोकथाम हेतु कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी सभी आवश्यक उपकरण जल्द से जल्द क्रय किए जाएंगे।

<u>प्रेस नोट –7</u>

एन. आर. आई. सिटी में **यूएसए से आए हुए 65 वर्षीय श्री विजय कुमार राय पुत्र श्री विद्या राय, डायमंड अपार्टमेंट के कोरोना वायरस के पॉजिटिव रिजल्ट पाए जाने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया**, साथ ही उनके परिवार के 05 सदस्यों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया जहाँ जांचोपरांत **उनकी रिपोर्ट निगेटिव पाए जाने पर** आज उनके आवास पर सेल्फ क्वारिन्टाइन मे रख दिया गया है, परन्तु उनके आवास पर जाने से पूर्व **नगर निगम की सेनेटाइजर्स टीम द्वारा उनके पूरे फ्लैट को सेनेटाइज किया गया । सेनेटाइजर्स टीम में श्री नितेश सिंह श्री हरि नाम श्री सुमित श्री अनिल व श्री विकास कुमार रहे। नगर आयुक्त ने टीम द्वारा किये जा रहे साहसिक कार्य की** प्रशसां की है।

नगर आयुक्त शिविर कार्यालय